दिनांक-09-06-2023

पत्रांक-172/जि०पं०/मानचित्र/2023-24

प्रबन्धक,
पी०सी०एस० आइस प्लान्ट प्रा० लि०,
के०आई०पी०एल० कन्शट्रक्शन प्रा० लि०
ग्रुप हाउसिंग प्लाटिंग/निर्माण,
ग्राम खुनक तहसील व जिला बदायूँ

आप द्वारा प्रस्तुत विकास खण्ड जगत के ग्राम खुनक जिला बदायूँ पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्लाटिंग/निर्माण संचालन हेतु मानचित्र को निम्न शर्तों के अधीन विनियमित/स्वीकृत किया जाता है।

1. नव निर्माण ग्रुप हाउसिंग प्लाटिंग/निर्माण व संचालन मानचित्र में उल्लिखित गाटा संख्याओं 35,36,40,42,43,44,45,46,48,50,54,55,56,57 एवं 65 पर ही कराया जा सकेगा। जिसका कुल क्षेत्रफल 48195.01 वर्ग मी० व आच्छादित क्षेत्रफल 44863.21 वर्ग मीटर है।
2. योजना के निर्माण संचालन के दौरान किसी प्रकार की जनहानि एवं धनहानि के लिए जिला पंचायत, बदायूँ का उत्तरदायित्व नहीं होगा। तथा किसी भी प्रकार की हानि के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. निर्माण से सम्बन्धित सभी प्रकार की सुरक्षा/स्टेवलाइजेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। निर्माण के समय किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जा नहीं करेगें। यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई अतिक्रमण/अवैध कब्जा पाया जाता है और किसी सरकारी विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण किया जाता है तो आवेदक द्वारा विनियमित/स्वीकृत मानचित्र को किसी भी न्यायालय मे चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।
4. स्वामित्व सम्बन्धी विवाद में स्वीकृत मानचित्र को स्वामित्व अभिलेख के रूप में किसी भी न्यायालय में उपयोग नहीं कर सकेगें। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वयं ही निरस्त माना जायेगा। स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं के सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
5. निर्माण/संचालन में मानचित्र में दर्शाया गया रोड साईड सैट बैक व अन्य सैट बैक पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं करेगें ओपन रखेंगे। निर्माण कार्य रोड के मध्य से पी०डब्लू०डी० विभाग के मानक के अनुसार दूरी छोड़कर करना होगा तथा अनापत्ति प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. किसी प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन के लिए जिला पंचायत, बदायूँ की पुनः स्वीकृति अनिवार्य होगी। निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार व भूकम्प रोधी कराया जायेगा।
7. विनियमित/स्वीकृत मानचित्र परिसर में कोई भी ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी जो उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिबन्धित हो।
8. निर्माण भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर के साथ आवेदक की भी होगी।
9. निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये आवासीय कालौनी में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।
10. बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।
11. भवन स्थल पर प्रत्येक 300 वर्ग मी० के भू-आच्छादन पर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा।

क्रमश:-2 पर

कार्यालय जिला पंचायत; बदायूँ

पत्रांक-174/जि० पं०/मानचित्र/ दिनांक- 09-06-2023

प्रश्नगत मानचित्र जिला पंचायत; बदायूँ में प्रचलित उपविधि के प्राविधानों के साथ स्वीकृत है। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य 03 वर्ष के लिए मान्य है। संलग्न शर्तों का पालन न करने पर अथवा वाद -विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।

अवर अभियन्ता	अभियन्ता	अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत; बदायूँ	जिला पंचायत; बदायूँ	जिला पंचायत; बदायूँ

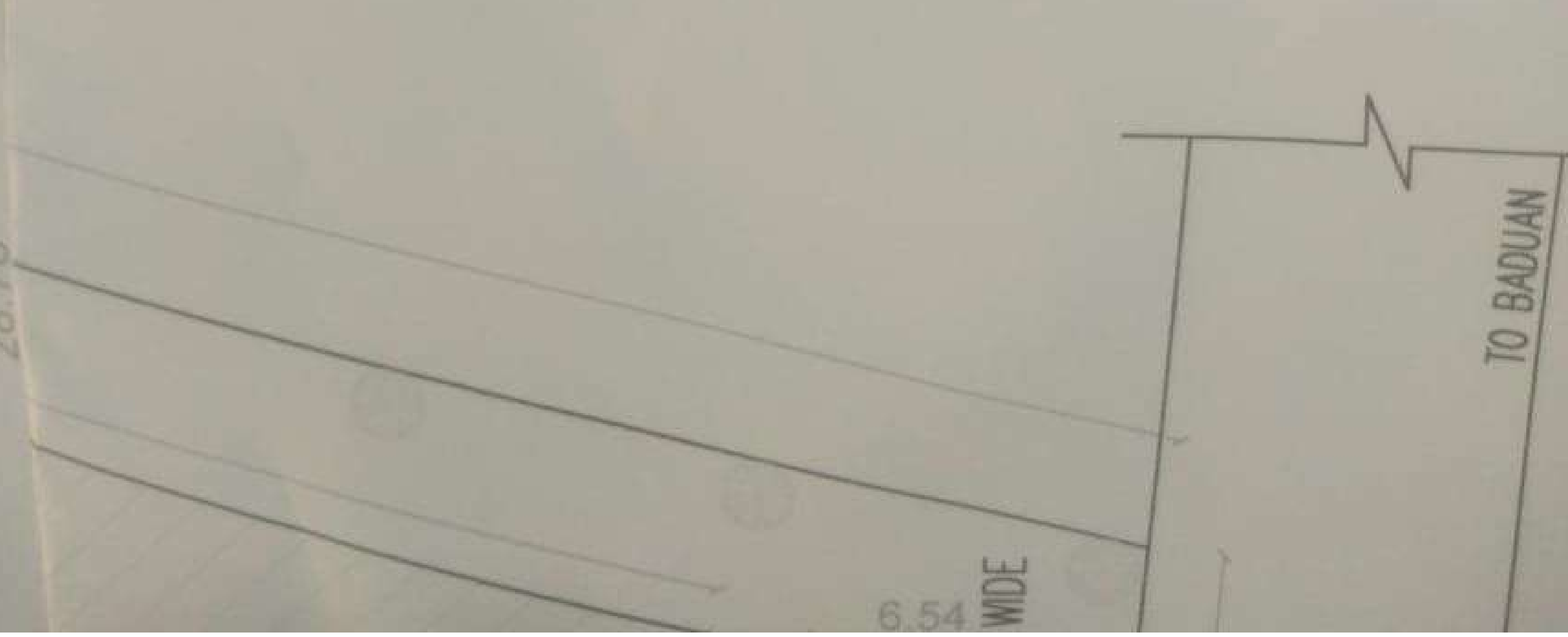

12. पार्क, टोट–लोट्स लैंडस्केप आदि का क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
13. भवन से हाई वोल्टेज इलैक्ट्रिक लाईन की दूरी नक्शा उपविधि में अकिंत उर्ध्वादर/क्षैतिज दूरी क्रमशः 3.70 मीटर/1.80 मीटर से अधिक रखी जायेगी।
14. विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हास्पिटल,नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू–आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्राविधान करने होगें। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ–साथ 6 मीटर चौडा मार्ग का प्राविधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौडाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।
15. अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौडाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौडाई 28 से0मी0 राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।
16. अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए
17. नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी, जिसके सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन के उपयोग से पूर्व प्राप्त करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भवन स्वामी/संस्था की होगी। साथ ही प्रस्तावित भवन के सैटबैक जिला पंचायत नक्शा उपविधि–2023 के अनुसार हैं, जो सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगें।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत भवन मानचित्रों की अनुज्ञा प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/संस्था में सभी प्राविधान नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार बनाये रखेंगे तथा निर्मित भवन परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार करने से पूर्व जिला पंचायत, बदायूँ को अवगत कराना होगा व भवन के प्रयोग करने से पहले जिला पंचायत नक्शा उपविधि के अनुसार जिला पंचायत, बदायूँ से स्थायी पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः–अनुमोदित मानचित्र।

अभियन्ता
जिला पंचायत,बदायूँ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बदायूँ।

कार्यालय जिला पंचायत; बदायूँ

पत्रांक-174/जि० पं०/मानचित्र/ दिनांक- 09-06-2023

प्रश्नगत मानचित्र जिला पंचायत; बदायूँ में प्रचलित उपविधि के प्राविधानों के साथ स्वीकृत है। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य 03 वर्ष के लिए मान्य है। संलग्न शर्तों का पालन न करने पर अथवा वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।

अवर अभियंता	अभियंता	अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत; बदायूँ	जिला पंचायत; बदायूँ	जिला पंचायत; बदायूँ

कार्यालय जिला पंचायत बदायूँ

पत्रांक–1210 /जि0पं0/मानचित्र/2025–26 दिनांक– 20/12/2025

प्रबन्धक,
पी0सी0एस0 आइस प्लान्ट प्रा0 लि0
के0आई0पी0एल0 कन्शट्रक्शन प्रा0 लि0
ग्राम खुनक बरेली रोड़ बदायूँ।

आपकी कम्पनी के द्वारा ग्राम पंचायत खुनक पर आवासीय कालौनी विकसित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–172/जि0पं0/मानचित्र/2023–24 दिनांक 09.06.2023 मानचित्र स्वीकृति/अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया है। जिसकी समय अवधि दिनांक 08.06.2026 को समाप्त हो रही है। उक्त अवधि को समयन्तर्गत पुनः तीन वर्ष को बढाये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक–04.12.2025 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में प्रचलित उपविधि के नियम के अनुसार अवधि बढाये जाने हेतु उक्त प्रस्तावित आवासीय कालौनी स्थल का अवर अभियन्ता जिला पंचायत, बदायूँ द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रचलित उपविधि में प्राविधान के अनुरूप आपके अनुरोध के क्रम में आपकी परियोजना को पूर्ण करने के लिए दिनांक 08.06.2026 से तीन वर्ष के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ बढाया जाता है कि पूर्व में निर्गत स्वीकृति पत्र *दिनांक 09.06.2023* में वर्णित शर्तों का अनुपालन तथा निर्माण कार्य पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करना अनिवार्य होगा। यदि उक्त शर्तों का उलघंन किये जाने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

अभियन्ता
जिला पंचायत,बदायूँ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बदायूँ।